न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः राकेश शर्मा **(आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या– 259/10
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121/08 पीएस पाटन
सीआईएस संख्या 970/14
सीएनआर संख्या RJSK070005002010

राजस्थान राज्य **ब ना म** **महेश कुमार वगैरह**

आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए भा.दं.सं.

भाग प्रथम

क

परिवादी	श्रीमती मन्नी देवी पुत्री बनवारी लाल निवासी जीलो
प्रस्तुतकर्ता	राज्य सरकार जरिए लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. महेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुगन, 2. नानूड़ी पत्नी स्व. श्री गुगन निवासीगण ढाणी माल्याली, तन दीपपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री मधुसुदन अग्रवाल

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	22.06.2010
2.	आरोप विरचित किए गए	16.01.2018
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	16.01.2018
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	07.10.2024
5.	परिक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	06.12.2024
6.	साक्ष्य सफाई पेश की गयी	–
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	07.12.2024
8.	निर्णय की दिनांक	07.12.2024
9.	विचारण में लगा समय	लगभग 15 वर्ष

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	महेश	–	30.05.19	498 ए भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–

2.	नानूड़ी	–	30.05.19	498 ए भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय
अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ -अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्लयू–1	मन्नी देवी	परिवादिया
पीडब्ल्यू 2	बनवारी	अन्य गवाह
पीडब्ल्यू 3	रामचंद	अन्य गवाह
पीडब्ल्यू 4	छाजूराम	अन्य गवाह
पीडब्ल्यू 5	ननचूराम	अन्य गवाह
पीडब्ल्यू 6	किशनलाल	अन्य गवाह

ब – बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––––––––		

स – न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––––––––		

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ – अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
–	–	–

ब- बचाव प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण

स- न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण

नि र्ण य

दिनांकः 07.12.2024

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया मन्नी देवी ने न्यायालय के समक्ष एक इस्तगासा धारा 156(3) सीआरपीसी में इस आशय का पेश किया कि परिवादिया व उसके चाचा की लड़की संतोष की शादी दिनांक 02.05.1996 को हुयी थी उस समय परिवादिया सात वर्ष की थी जिसके पश्चात् परिवादिया का गौना करीब 7 वर्ष बाद किया गया। जिस समय काफी दहेज का सामान दिया था। जब वह ससुराल गयी तो उसके साथ अभियुक्तगण ने मानसिक व शारीरिक रूप से क्रुरता कारित की। उसके व उसके पति के मध्य हुए वैवाहिक संसर्ग से उसके एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुयी। जुलाई 2005 में अभियुक्तगण ने शराब पीकर परिवादिया के साथ बुरी तरह से मारपीट की व बच्चे को रख लिया व परिवादिया को घर से बाहर निकाल दिया आदि पर संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करने मुकदमा नंबर 121/08 धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में दर्ज कर बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन **अदम वकू झूठ** में प्रस्तुत किया। तदुपरांत परिवादिया द्वारा अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध दिनांक 01.09.2008 को नाराजगी याचिका प्रस्तुत कर स्वयं व अन्य गवाहों को परीक्षित करवाया। जिस पर न्यायालय द्वारा **दिनांक 22.06.2010** को बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण महेश व नानूड़ी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

2. अभियुक्तगण को धारा 498ए भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो सुन समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष एक भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

4. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान के बयानों को गलत होना बताया तथा निर्दोष होने व उसने कोई दहेज की मांग नहीं की का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने का कथन किया है।

5. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। दौराने बहस अंतिम अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने के आधार पर अभियुक्तगण को युक्तियुक्त दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अंतिम प्रमुख रूप से कथन किए गए कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाए गए है न ही किसी भी गवाह द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट कथन किया है तथा सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी प्रकट होते हैं। अंत में अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

7. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

(1) क्या परिवादिया मन्नी देवी की शादी अभियुक्तगण महेश कुमार के साथ दिनांक 02.05.1996 को होने के पश्चात् अभियुक्तगण महेश कुमार ने परिवादिया के पति होते हुए एवं अभियुक्ता नानूड़ी ने परिवादिया के नातेदार/रिश्तेदार होते हुए परिवादिया को समय समय पर कुरूप बताकर, परिवादिया की बेईज्जती कर घर से निकाल देने एवं दूसरी शादी करने की धमकी देकर परिवादिया को तंग परेशान एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण कृत्य कारित किया ?

– यदि हां, तो उचित दण्ड क्या हो ?

8. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 गवाह परिक्षित करवाए गए हैं। जिनके द्वारा अपनी प्रीचार्ज साक्ष्य को ही मुख्य परीक्षा मानने का कथन किया।

9. गवाह पी.ड. 1 मन्नी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि उसकी शादी 12–13 वर्ष चाचा की लड़की संतोष के साथ महेश से हुयी थी। उस समय वह साथ नहीं गयी। सात साल बाद वह ससुराल गयी। उसी समय उसका दहेज दिया गया था जिसमें घरेलू आवश्यकताओं का सामान, बर्तन, सोने व चांदी के आभूषण व नगद रुपए दिए गए थे। उसकी सास व उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे तथा दहेज में सामान नहीं देने की बात कहते थे तथा उसके पिता से कभी दो हजार व कभी पांच हजार रुपए की मांग करते थे। उसे सुंदर नहीं होने का ताना देकर घर से तीन साल पूर्व निकाल दिया तथा उसका दहेज का सामान रख लिया। उसके पीहर बच्चा हुआ जो सास के पास है।

10. जिरह जरिए अधिवक्ता मुलजिमान में गवाह ने कथन किए कि उसकी शादी उसके चाचा की लड़की संतोष के साथ महेश से हुई थी। शादी के समय संतोष की उम्र क्या थी उसे नहीं पता। वह उसकी शादी के समय 5 साल की थी। उसकी शादी कब हुई कौनसे साल में हुई उसे याद नहीं है। उसके बड़े लड़के का नाम नरेश है जिसकी उम्र 18 से 20 साल है। उसके छोटे वाले लड़के का नाम नितेश है जिसकी उम्र 5–6 साल है। उसके साथ उसके पति महेश व उसकी सास नानुडी देवी ने प्रथम बार कब मारपीट की उसे नहीं पता है। उसके साथ हुई मारपीट के बारे में उसने अपने भाई रोहताश को बताई थी। उसके पीहर से समझाने के लिए उसके पिताजी व और कौन गये थे उसे नहीं पता। उसके पति व उसकी सास के द्वारा उसके साथ मारपीट करके निकालने के बाद वह 12–13 साल अपने पीहर रही थी। उसके दिनांक 05.12.2008 को कोर्ट में बयान हुए थे। उसने अपने बयान एडब्ल्यु 1 में दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की थी यह लिखाया था जो उसमें दर्ज नहीं है। उसके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए परिवाद में भी दहेज के लिए मारपीट की गई यह बात नही लिखी है। यह कहना गलत है कि वह झुठे बयान दे रही है।

11. इस प्रकार उक्त गवाह से जो जिरह की गयी उसमें गवाह ने उसके साथ प्रथम बार कब मारपीट हुयी उसके संबंध में पता नहीं होने का कथन किया है तथा उसने मारपीट की बात सर्वप्रथम अपने भाई रोहिताश को बताए जाने के बारे में कथन किया है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकरण में परीक्षित नहीं करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में परिवादिया द्वारा मुलजिमान पर जो तथाकथित आरोप लगाए गए हैं वह उन आरोपों के संबंध में परिवादिया द्वारा कोई तिथि, वार, समय व वर्ष अंकित नहीं किया गया है।

12. गवाह पी.ड. 2 बनवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि मन्नी उसकी लड़की है। उसकी सात वर्ष की उम्र में शादी की थी। उसके सात वर्ष बाद गौना किया उसी समय दहेज का सामान जिसमें घरेलू आवश्यकताओं का सामान, बर्तन, सोने व चांदी के आभूषण व नगद रुपए दिए गए थे। ससुराल में उसका पति व उसकी सास पैसे व दहेज के सामान को लेकर मारपीट करते थे। उसे कहते थे कि तेरे बाप ने उनकी बेइज्जती करवा दी। उसे खाना व कपड़ा नहीं देते थे। जिसे बाद में दूसरी शादी करने की बात कहकर उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया अब मन्नी साढे तीन वर्ष से उसके पास है। उसके पीहर में बच्चा हुआ जो कि

उसकी सास के पास है। दहेज का सारा समान ससुराल में रख लिया।

13. जिरह जरिए अधिवक्ता मुलजिम में उक्त गवाह ने कथन किए है कि उसके भाई की लड़की संतोष की उम्र शादी के समय 22–23 साल थी। मन्नी की उम्र 5 साल थी। मन्नी का गौना कौनसे साल में किया यह उसे याद नहीं है। शादी कौनसे साल में की यह उसे याद नहीं है। मन्नी से प्रथम बार मारपीट कौनसे साल में की थी उसे नहीं पता सावन के महीने में की थी। साल, संवत उसे नहीं पता। मन्नी के साथ प्रथम बार हुई मारपीट के बारे में उसने अपने भाई रोहिताश को बताया था। मन्नी के ससुराल दीपपुरा से किसी औरत ने उसके लड़के रोहिताश को मन्नी के साथ हुई मारपीट के बारे में बताया था। मन्नी प्रथम मारपीट के बाद अपने पीहर 10–11 साल रही। दुसरी बार कौनसी साल में मारपीट की यह उसे नहीं पता। मन्नी के बड़े लड़के की उम्र 18–20 साल है तथा छोटे वाले लड़के की उम्र 6 साल है। उसके आज से पहले कोर्ट में बयान हुए हो तो उसे नहीं पता। यह बात सही है कि उसके कोर्ट बयान एडब्ल्यु 4 दिनांक 28/02/2009 में दहेज की मांग को लेकर मारपीट के बारे में नहीं लिखा हुआ है।

14. इस प्रकार उक्त गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि मन्नी के साथ उसके पति व सास द्वारा प्रथम बार कब मारपीट की यह उसे नहीं पता। दूसरी बार मारपीट किए जाने के संबंध में भी नहीं पता होने का कथन किया है। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि मन्नी ने मारपीट की बात अपने भाई रोहिताश को बतायी थी तथा उक्त गवाह स्वयं जिरह में आगे कहता है कि मन्नी के साथ मारपीट की बात उसके ससुराल में दीपपुरा की किसी औरत ने बतायी थी। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों में विरोधाभास नजर आता है तथा उक्त गवाह मन्नी देवी के साथ कब, कौनसे साल, वार, महीने व तारीख को मारपीट हुयी बता पाने में असमर्थ है। उक्त गवाह द्वारा लगाए गए आरोप साधारण परिप्रेक्ष्य में लगाए गए आरोप हैं जिनमें कोई विशिष्ट दिनांक, समय, सन् अंकित नहीं हैं।

15. गवाह पी.ड. 3 रामचंद्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि मन्नी उसके मामा की लड़की है। उसके साथ उसकी सास व पति दुर्व्यवहार करते थे तथा उसे खूबसुरत नहीं होने व दहेज कम देने का ताना देते थे व शराब हेतु पैसे मांगते। मन्नी को साढ़े तीन वर्ष पूर्व मारपीट कर निकाल दिया जिसके पश्चात् से मन्नी उसके पिता के पास रहती है। शादी के सात साल बाद ही गौना किया था। गौने के समय मन्नी ससुराल गयी थी। उसे खाना व कपड़े नहीं देते थे तथा परेशान करते थे। दहेज का सामान ससुराल में है मन्नी ससुराल से कुछ नहीं लाई।

16. जिरह जरिए अधिवक्ता मुलजिमान में गवाह ने कथन किए कि मन्नी उसके मामा की लड़की है। मन्नी का गौना कौनसे साल, महीने में हुआ उसे याद नहीं है। उसे मन्नी ने बताया था कि उसके पति व उसकी सास उसके साथ मारपीट करते हैं। मन्नी के पति व सास के द्वारा मारपीट की बात उसे मन्नी ने 2012–13 में बताया था। उसके पहले भी कोर्ट में बयान हुए थे। यह कहना सही है कि उसके कोर्ट दिनांक 28.02.2009 को दिये गये बयान में दहेज बाबत नहीं लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कि वह परिवादी का रिस्तेदार होने के कारण आज न्यायालय में झुठे बयान दे रहा है।

17. इस प्रकार उक्त गवाह जिरह में यह कथन करता है कि उसे मन्नी ने अपने साथ मारपीट के बारे में बताया था। जबकि गवाह पीडब्ल्यू 1 मन्नी स्वयं जिरह में यह कथन करता है कि उसने मारपीट की बात अपने भाई रोहिताश को बतायी थी। जबकि गवाह पीडब्ल्यू 2 यह कथन करता है कि मन्नी के साथ मारपीट की बात उसके ससुराल दीपपुरा में किसी औरत ने उसके लड़के को बतायी थी। इस प्रकार उक्त कथनों में कौनसा कथन सत्य है यह स्पष्ट नहीं है। उक्त कथन अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होता है तथा गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पूर्व के बयान में दहेज बाबत् नहीं लिखाया था। इस प्रकार उक्त गवाह अभियोजन के समर्थन में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

18. गवाह पी.ड. 4 छाजूराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि मन्नी उसके बड़े भाई की लड़की है। सात वर्ष की उम्र में उसकी शादी की थी। उसके सात साल बाद उसका

गौना कर उसे ससुराल भेजा था, उसी समय दहेज भी दिया था। ससुराल वाले मन्नी के साथ मारपीट करते थे, मन्नी का पति व सास मारपीट करते थे। मन्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगते थे। मन्नी को रोटी व कपड़ा भी ठीक से नहीं देते थे। मन्नी का दहेज का सामान ससुराल में ही है।

19. जिरह जरिए अधिवक्ता मुलजिमान में गवाह ने कथन किए कि संतोष उसकी लड़की थी। संतोष के साथ ही उसके भाई की लड़की मन्नी देवी की शादी महेश के साथ की थी। मन्नी देवी के साथ उसके पति व सास के द्वारा की गई मारपीट के बारे में उसे पहली बार कौनसे साल तारीख में बताई थी उसे याद नहीं है। मन्नी देवी ने मारपीट की बात सबसे पहले अपने माता–पिता को बताई थी। मन्नी के दो संतान हैं। बडे वाले लड़के की उम्र कितनी है उसे ध्यान नहीं है। छोटे वाला लडका 6–7 साल का है। उसके पहले कोर्ट में बयान नहीं हुए। यह कहना सही है कि उसके कोर्ट बयान दिनांक 28.02.2009 में उसने दहेज की मांग नहीं बल्कि रुपये मांगने की बात लिखवाई थी। मन्नी देवी से उसका पति शराब के लिए पैसा मांगता था।

20. इस प्रकार उक्त गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि मन्नी देवी ने अपने साथ हुयी मारपीट की बात सबसे पहले अपने माता पिता को बतायी थी। जबकि गवाह मन्नी अपनी जिरह में बताती है कि उसने मारपीट की बात सबसे पहले अपने भाई रोहिताश को बतायी थी। गवाह पीडब्ल्यू 2 बनवारी यह कथन करता है कि मन्नी देवी के साथ मारपीट की बात उसके ससुराल दीपपुरा की किसी महिला के द्वारा मन्नी के भाई रोहिताश को बतायी थी। गवाह पीडब्ल्यू 3 यह कथन करता है की मन्नी देवी ने मारपीट की बात उसे बतायी थी। जबकि गवाह पीडब्ल्यू 4 यह कथन करता है कि मन्नी देवी ने मारपीट की बात सर्वप्रथम अपने माता पिता को बतायी थी। इन कथनों में कौनसा कथन सत्य और कौनसा कथन असत्य है यह दर्शित नहीं होता है तथा उक्त गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में हुए बयानों में दहेज की मांग की बात और रुपयों की मांग बाबत् बात नहीं लिखायी थी तथा गवाह ने जिरह में आगे यह भी स्वीकार किया है कि मन्नी देवी का पति शराब के लिए पैसे मांगता था तथा उक्त गवाह भी यह बताने में असमर्थ है कि मन्नी देवी के पति व उसकी सास द्वारा मारपीट के बारे में उसको पहली बार कौनसे साल, संवत, महीने व तिथि को पता चला। इस प्रकार गवाह द्वारा लगाए गए आरोप भी सुनी सुनायी बातों पर कथन किया जाना जाहिर होता है।

21. गवाह पी.ड. 5 ननचूराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि बनवारी उनकी ढाणी से दूर है, बनवारी की लड़की की शादी दीपपुरा में हुयी थी जिसका नाम मन्नी देवी है। मन्नी गांव आयी तो उसे बता रही थी कि उसका पति व सास शराब पीते हैं और उसे मारते पीटते हैं, समय पर खाना नहीं देते तथा कहते है कि तेरे बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया। उन्हें और दहेज लाकर दे।

22. जिरह जरिए अधिवक्ता मुलजिमान में गवाह ने कथन किए कि मन्नी उसकी परिवार में पोती लगती है। मन्नी की शादी की साल उसे ध्यान नहीं है करीब 27–28 साल हो गई। मन्नी का गौना कब हुआ था उसे ध्यान नहीं है। मन्नी के साथ उसके पति व सास ने मारपीट करीब 20 साल पहले की थी। मन्नी ने मुकदमा कब किया उसे ध्यान नहीं है। मन्नी के साथ हुई मारपीट के बारे में मन्नी ने सबसे पहले अपने पिता को बताई थी। मन्नी उसे दहेज में एक मोटर साईकिल तथा पैसे कितने मांगे थे उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि मन्नी का पति महेश शराब पीता था। यह कहना भी सही है कि महेश शराब के पैसे मन्नी से मांगता था। मन्नी पैसे नहीं देती थी इसलिए उसके साथ मारपीट करता था। उसके कोर्ट में पहले भी बयान हुए थे। यह कहना सही है कि उसके कोर्ट बयान दिनांक 01.04.2009 में मन्नी ने उसे कहा की तेरे बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया उन्हें और दहेज लाकर दे यह लिखा हुआ है लेकिन इनमें मोटरसाईकिल की बात नहीं लिखी है।

23. इस प्रकार उक्त गवाह भी मन्नी के साथ उसके पति व सास द्वारा मारपीट 20 साल पहले करने के बारे में कथन करता है तथा उक्त गवाह भी विशिष्ट तिथि, वार, सन् जिस दिन मन्नी के साथ मारपीट की हो बता पाने में असमर्थ है तथा अपने पूर्व में हुए बयानों में गवाह ने

मोटरसाइकिल की बात नहीं लिखवाने के संबंध में अपनी स्वीकृति दी है। जबकि जिरह में गवाह मोटरसाइकिल मांगने का कथन करता है। इस प्रकार उक्त गवाह भी सुनी सुनायी बातों के आधार पर कथन करना जाहिर होता है। उक्त गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि मन्नी देवी ने मारपीट की बात सबसे पहले अपने पिता को बतायी थी जबकि स्वयं मन्नी देवी यह कथन करती है कि उसने मारपीट की बात सर्वप्रथम अपने भाई रोहिताश को बतायी थी। इस प्रकार उक्त गवाह भी अभियोजन के समर्थन में विश्वसनीय दर्शित नहीं होता है।

24. गवाह पी.ड. 6 किशनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि वह बनवारी को व उसकी लड़की मन्नी देवी को जानता है। मन्नी देवी की शादी दीपपुरा में हुयी है। मन्नी देवी को ससुराल वाले अच्छी तरह से नहीं रखते थे। मन्नी की सास व पति मन्नी के साथ दहेज को लेकर मारपीट करते थे तथा कहते थे कि तेरी शादी में उन्हें कुछ नहीं दिया। उनके हैसियत के अनुसार विवाह नहीं किया। यह बात स्वयं मन्नी ने गांव में आकर उसे बतायी थी।

25. जिरह जरिए अधिवक्ता मुलजिमान में गवाह ने कथन किए कि मन्नी का पिता बनवारी उसका चचेरा भाई लगता है। मन्नी के साथ हुई मारपीट के बारे में उसे पहले मुलजिम महेश ने बताई थी। मन्नी ने भी उसे दो दिन बाद बताई थी। यह कहना सही है कि मन्नी ने उसे बताये जाने के बाद इस बात को मन्नी के माता–पिता ने उसे बताया। महेश मन्नी से शराब के लिए पैसे मांगता था उन्हीं के कारण उससे मारपीट करता था। उसके कोर्ट बयान दिनांक 01.04.2009 में दहेज को लेकर मारपीट की बात लिखी हुई है। दहेज की मांग में कितने रूपये मांगता था उसे ध्यान नहीं है। वाहन में भी क्या मांगता था उसे याद नहीं है।

26. इस प्रकार उक्त गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि मन्नी देवी के साथ जो मारपीट हुयी उसके बारे में उसे स्वयं मुलजिम महेश ने बताया। जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि मुलजिम स्वयं मारपीट कर उसकी बात गवाह को बताए तथा आगे गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि महेश के बताने के बाद मारपीट की बात उसे मन्नी ने दो दिन बाद बतायी थी। मारपीट की बात उसने मन्नी के माता पिता को बताया। जबकि हस्तगत प्रकरण में पूर्व में परीक्षित करवाए गए गवाहान में से किसी गवाह ने यह कथन किया है कि मन्नी देवी ने मारपीट की बात सर्वप्रथम अपने भाई को बतायी। जबकि गवाह मन्नी देवी स्वयं ने कथन किया है कि उसने सर्वप्रथम मारपीट की बात अपने भाई को बतायी। जबकि उक्त गवाह कथन करता है कि उसके द्वारा मन्नी देवी के माता पिता को मारपीट की बात बतायी थी। उक्त गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि दहेज की मांग में कितने रुपए मांगे थे यह उसे ध्यान नहीं है। वाहन में क्या मांगा था यह भी उसे ध्यान नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा जो तथ्य जिरह में जाहिर किए गए हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त गवाह केवल मात्र सुनी सुनायी बातों के आधार पर बयान दे रहा है। उक्त गवाह भी मन्नी देवी के साथ कौनसी तिथि, वार व सन् को मुलजिमान द्वारा मारपीट की गयी यह बता पाने में असमर्थ है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Achin Gupta v. State of Haryana & Anr. [2024] 6 S.C.R. 129 : 2024 INSC 369 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "If a person is made to face a criminal trial on some general and sweeping allegations without bringing on record any specific instances of criminal conduct, it is nothing but abuse of the process of the court. The court owes a duty to subject the allegations levelled in the complaint to a thorough scrutiny to find out, prima facie, whether there is any grain of truth in the allegations or whether they are made only with the sole object of involving certain individuals in a criminal charge, more particularly when a prosecution arises from a matrimonial dispute." जहां प्रकरण अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. से संबंधित है वहां पीड़ित पक्ष को विशिष्ट आरोप मुलजिमानों पर लगाया जाना आवश्यक है केवल साधारण परिप्रेक्ष्य में यह कह देना मात्र कि उसके साथ मुलजिमान द्वारा दहेज की मांग की गयी या दहेज के संबंध में उसके साथ मारपीट की गयी यह कथन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जब तक

कि गवाह उसके साथ हुयी घटना या दहेज मांगने के तथ्य को विशिष्ट रूप से उसकी तिथि, वार, समय व साल अंकित नहीं करता हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

28. इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहों से व उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से अभियोजन यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि मुलजिमान द्वारा परिवादिया मन्नी देवी के साथ दहेज के लिए मारपीट की गयी हो या उसके साथ क्रूरता की गयी हो। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के मध्यनजर अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

29. ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 क भा.दं.सं. को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। अतः अभियुक्तगण महेश व नानूड़ी अपराध अंतर्गत धारा 498 क भा.दं.सं. से संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:ः आदेश:ः

30. एतद्द्वारा अभियुक्तगण 1. महेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुगन, 2. नानूड़ी पत्नी स्व. श्री गुगन निवासीगण ढाणी माल्याली, तन दीपपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं को अपराध अंतर्गत धारा 498 क भा.दं.सं. से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है

31. अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। साथ ही अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपए का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करे कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

32. प्रकरण में वजह सबूत यदि कोई माल हो तो उसका नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(राकेश शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना

33. निर्णय आज दिनांक 07.12.2024 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना